रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 197] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 1978/चैत्र 23, 1900
No. 197] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 1978/CHAITRA 23, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1978

का. आ. 265(अ)/18ए.ए./आई. डी. आर. ए./78.—केन्द्रीय सरकार के कब्जे में जो दस्तावेजी और अन्य साक्ष्य हैं उनके आधार पर उसका समाधान हो गया है कि मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड कानपुर (जिसे इसमें उसके पश्चात् उक्त उपक्रम कहा गया है) के निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रम अर्थात् :—

(1) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर,
(2) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, पांण्डिचरी,
(3) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी,
(4) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भन्जन,
(5) मैसर्स उदयपुर काटन मिल्स लिमिटेड, उदयपुर, और
(6) मैसर्स राय बरेली टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, राय बरेली

के भारसाधक व्यक्तियों द्वारा इन औद्योगिक उपक्रमों की अस्तियों पर कतिपय विलंगम (इन्कम्बरेंस) उत्पन्न कर देने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम द्वारा विनिर्मित या उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन प्रभावित हो रहा है और आगे भी प्रभावित होने की संभावना है और ऐसी स्थिति को रोकने के लिए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है,

अतः अब केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) उक्त औद्योगिक उपक्रम के समस्त प्रबन्ध तंत्र की निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए अपने हाथ में लेने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निदेशों का पालन करेगा ;
(2) प्राधिकृत व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा ;
(3) यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति को पहले ही समाप्त कर सकती है।

यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

[सं. 10/11/75-सी. एस. एम.]
आर रामाकृष्ण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 13th April, 1978

S. O. 265(E)/18AA/IDRA/78.—Whereas the Central Government is satisfied from the documentary and other evidence in its possession, that the persons in charge of the industrial undertakings, namely , (i) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Kanpur, (ii) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Pondicherry, (iii) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Naini, (iv) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Maunath Bhanjan, (v) M/s. Udaipur Cotton Mills Ltd., Udaipur and (vi) M/s. Rae Bareli Textile Mills Ltd., Rae Bareli of Messrs Swadeshi Cotton Mills Company Limited, Kanpur (hereinfater referred as the said industrial undertakings), have, by creation of encumbrances on the assets of the said industrial undertakings, brought about a situation which has affected and is likely to further affect the production of articles manufactured or produced in the said industrial undertakings and that immediate action is necessary to prevent such a situation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 18 AA of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises the National Textile Corporation Limited (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the said industrial undertakings, subject to the following terms and conditions, namely :—

(i) the authorised person shall comply with all the directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) the authorised person shall hold office for a period of five years from the date of publication of this order in the Official Gazette;

(iii) the Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier if it considers necessary to do so.

This order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 10/11/75-CSM]

R. RAMAKRISHNA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978